—: निर्बन्ध राशि योजना :—

विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना के तहत राज्य मे 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007—12 का निर्माण एक विस्तृत कार्य योजना के तहत किया गया था जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे ग्राम/वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाकर इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु वांछित विभिन्न विकास कार्यो के प्रस्ताव ग्राम/ वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त किये गये थे तथा इन प्रस्तावों के आधार पर ग्राम पंचायत /पंचायत समिति व जिला स्तरीय योजनाऐं तैयार की गई थी।

11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के लिए ग्राम /वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो के अवशेष रहे औचित्यपूर्ण प्रस्तावों की क्रियान्विति के उदेश्य से वित्तीय वर्ष 2007—08 से राज्य मे निर्बन्ध राशि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक जिले को 1—1 करोड रूपये उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 में कुल प्रावधित राशि रूपये 3200.00 लाख के विरूद्ध 3171.00 लाख उपलब्ध करवाये गये थे। वार्षिक योजना 2008—09 के तहत राशि रूपये 3200.00 लाख का वित्तीय प्रावधान था जिसे वित्त विभाग द्वारा संशोधित कर 1600.00 लाख कर दिया गया एवं तद्नुसार ही 32 जिलों को राशि रूपये 50—50 लाख उपलब्ध करवाये जा सके, जबकि अधिकाशं जिलों द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि के अनुरूप कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। अतः वित्तीय वर्ष 2009—10 मे योजनान्तर्गत राशि प्रावधित राशि मे से 32 जिलों को 50—50 लाख की राशि वार्षिक योजना 2008—09 के अधूरे कार्यों को निष्पादित करने हेतु राशि हस्तान्तरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2010—11 मे योजनान्तर्गत 1650.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था तथा प्रावधित राशि दो किश्तों मे जिलों को आवंटित की गई। इसके साथ ही निर्बन्ध राशि योजना 2007—08 एवं 2008—09 मे सम्मिलित कुछ कार्यों का क्रियान्वयन अन्य योजनाओं में हो जाने अथवा कुछ कार्यों की वर्तमान में आवश्यकता नहीं होने के कारण इन योजनाओं के विरूद्ध जिला परिषदों को जारी राशि का शत प्रतिशत उपयोग नही हो सका है। अतः जिला परिषदों के पी.डी. खातों मे ऐसे कार्यों की अवशेष रही राशि का उपयोग भी निर्बन्ध राशि योजना 2010—11 के तहत किये जाने हेतु दिशा— निर्देश मे उल्लेख किया गया है।

योजनार्न्तगत वर्ष 2007—08 में आंवटित राशि 3171.00 लाख के विरूद्ध माह मार्च, 2011 तक 2831.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है, जो कि आवंटित राशि का 89.29 प्रतिशत है तथा वर्ष 2008—09 में निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत आवंटित 3200.00 लाख के विरूद्व माह मार्च, 2011 तक 2839.20 लाख की राशि व्यय जा चुकी है, जो कि आवंटित राशि का 88.73 प्रतिशत है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010—11 मे आवंटित राशि 1650.00 लाख के विरूद्ध 173.79 लाख रूपये व्यय हुऐ है।